2014 | 00017

बोशो स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☏ 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेकी स्टेज

11/10

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
88-188	21/18		26/7/23 6/9/23 4/10/23 11/10/23 18/10/23 19/12/23 2/1/24	

निर्णित (2/1/24

अनवान

श्री रामधन्नी कुमार .... श्री रामभूलाल मेहर

निवासी .... निवासी ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट — घनश्याम धाकड़

डिक्रीदार

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट — जगदीश धाकड़

रेस्पाडेन्ट / मदयूनाम

श्री .... श्री ....

प्रकरण सं. 61/14

APP-A
crim-1

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी मुक़ाम बिजौलिया

धन्नीकंवर बनाम शम्भुलाल

किस्म मुकदमा वादपत्र अन्तर्गत धारा नं. 61 सन 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4-12-14	वादपत्र बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी जरिये सम्मन मय नकल के भेजा जावे। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 8-1-15 को पेश हो।	
8/1/15	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्री [illegible] हाजिर हैं। पत्रावली दिनांक 13/2/15 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
13/2/15	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्री [illegible] पत्रावली दिनांक 13/3/15 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
13.3.15	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी नं. 2, 3 की ओर से श्री लक्ष्मीलाल पुराणी ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी नं. 4, 5, 6 की तामील हो चुकी है और हाजिर है अतः एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किया जाता है। प्रतिवादी नम्बर 1 की तलबी बाबत उक्त प्रोसेस प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 9.4.15 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
9-4-15	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। प्रति. नं. 1 की तलबी बाबत उक्त प्रोसेस प्रस्तुत किया जावे व वकील प्रतिवादी जवाब प्रस्तुत करें। पत्रावली 28-5-15 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

28.5.15 पत्रावली पेश हुई अभिभावक उपस्थित उप S.D.O. सा. मुख्यालय पर पर्याप्त समय ... 8-6-15 को ...

8-6-15 पक्षकरान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी /उप./अनु./पत्रावली ... अदालत में पेश हुई परंतु ... पत्रावली वास्ते ... 30-9-15 को वास्ते जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी,
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

30.9.15 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 9/12/15 की वास्ते जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

9.12.15 अभिभावक उपस्थित उप वकील प्रतिवादी जवाब हेतु समय चाहते हैं वास्ते जवाब दिनांक 28.1.16 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

28/1/16 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ... पर हैं। पत्रावली दिनांक 25/2/16 को वास्ते जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

25/2/16 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/3/16 को वास्ते जवाब पेश हो। ... 0.6 R.D. ... प्रस्तुत किया नकल ... प्रति ... 17-3-16 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

17/3/16 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ... पर हैं। पत्रावली दिनांक 21/4/16 ... आदेश पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

21/4/16 ... /प्रतिवादी ... पत्रावली दिनांक 25/5/16 ... पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां. जिला भी...

प्रकरण सं. 61/14

तारीख 24-5-16 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2016 कैम्प चांद जी की खेडी पर पेश हुई। उभय पक्षकार उपस्थित प्रार्थना-पत्र स्वीकार संशोधित टाईटल पेश करने एवं जवाब पेश करने हेतु दिनांक 14-7-16 को पेश हो।

14/7/16 — पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ... के दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 21/9/16 को वास्ते जवाब पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी

21-9-16 ~~पत्रावली~~ पेश हुई। उभय पक्षकारान आधी. उप०। पत्रावली वास्ते संशोधित टाईटल पेश करने व जवाब हेतु दि. 14-12-16 को पेश हो।
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां

4/12/16 — पत्रावली पेश ... अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ... दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 18/1/17 ... जवाब पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी

~~18/1/17~~ 18-1-17 — पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान ... दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 1/3/17 को वास्ते जवाब पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी

1/3/17 — पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ... दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 13/4/17 ... जवाब पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी

13/4/17 — पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. का दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 3/5/17 को वास्ते जवाब पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी

31/5/17 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ... दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 26/9/17 को वास्ते [illegible] पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

20.9.17 अभिभावक पक्षकार उप व प्रतिवादी के [illegible] 9.3 की [illegible] प्रस्तुत। [illegible] वकील वादी [illegible] O P R P [illegible] वकील वादी के [illegible] प्रस्तुत की। वकील प्रतिवादी [illegible] प्रस्तुत [illegible] वादी [illegible] वकील वादी संशोधित title [illegible] प्रस्तुत करने [illegible] 26.10.17 को पेश हो।

26.10.17 पत्रावली पेश हुई जो [illegible] पत्रावली [illegible] 21.11.17 [illegible] संशोधित title प्रस्तुत करने B.O. को पेश हो।

21.11.17 अभिभावक पक्षकार उप वकील वादी ने संशोधित title प्रस्तुत की [illegible] title [illegible] 29.11.17 को पेश हो।

29.11.17 पत्रावली पेश हुई। आज पक्ष [illegible] उपस्थित। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित [illegible] दि. 12-12-17 को पेश हो।

12/12/17 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. ... दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 9/1/18 को वास्ते नि. बहस पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

...ख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ... हुक्म की तामी... में जारी हुए
-19	वकील वादी उपस्थित। जिन्होंने प्रार्थना पत्र [illegible] प्रस्तुत कर वादी [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] वकील की [illegible] वादी का [illegible] प्रस्तुत की। वकील [illegible] वकील [illegible] [illegible] [illegible] वकील वादी [illegible] प्रस्तुत की [illegible] [illegible] 6-272 [illegible]	...2R...
6/2/18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/... को ...स.ऊ.स. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 20/3/18 को वास्ते तलब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
20/2/18	पत्रा... उप... ... [illegible] ... दिनांक 20/3/ ... तलब ... हो। उप खण्ड अधिकारी	
20/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं को तीन-तीन मर्तबा आवाज दिलवाई गई, दोनों गैर-हाजिर रहे हैं। अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88-188 RTA अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील बाजाब्ता शुमार फैसल हो उप ...	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5-4-18	पत्रावली वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पेश हुई। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम ... पर वकील प्रतिवादी ने No objection किया। प्रार्थना-पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत हुआ है। वाद-पत्र को नम्बर पर लेने बाबत वकील प्रतिवादी को भी आपत्ति नहीं है, अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद-पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जावे। वाद दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 5-6-18 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)
5-6-18	पत्रावली राजाज्ञा ... [illegible] पर प्रस्तुत हुई। ... पक्षकारान के उपस्थित नहीं होने से ... [illegible] नहीं हो सका। पत्रावली के वकील वादी ने ... प्रस्तुत किया। शामिल पत्रावली ... प्रतिवादी ... [illegible] ... किया जावे ... 20-6-18 को ... [illegible] ... प्रस्तुत किया शामिल मिसल रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां (...)
20-6-18	अभिभाषक ... [illegible] ... जवाब हेतु ... [illegible] ... जवाब ... 18-7-18 को पेश हो। [signature]
18/7/18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी ने ... अनुपस्थित श्रीमान F.O. सा. ... अभिभाषकगण आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/8/18 को पेश हो।

[illegible]

FORM NO. III

APP- A
Crim-5

फर्द अहकाम
(नियम 26)

[illegible]लत ______ मुकाम ______

______ बनामम ______

मुकदमा ______ नं. 91/18 वर्ष

[illegible]रीख [illegible]क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/9/18	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/10/18 को वास्ते जवाब पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
[illegible]/10/18	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक [illegible]/11/18 को वास्ते जवाब पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
20/11/18	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उपस्थित [illegible] वकील प्रतिवादी जवाब हेतु समय चाहते हैं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली 18.12.18 को पेश हो [signature] [illegible]कारी [illegible] ([illegible])	
18/12/18	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी [illegible] के [illegible] के कारण अनुपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 22/1/19 को वास्ते [illegible] पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
22/1/19	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12/2/19 को वास्ते जवाब पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12.2.19	बाहर मो. बिनो. ने कार्य स्थगन रखा पेश हुई। वादी/प्रतिवादी हैं। पत्रावली दिनांक 19/3/19 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
12.3.19	बार एसो. विधो. ने कार्य स्थगित रखा। दिनांक 9/4/19 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
9-4-19	अभिभाषक उपस्थित। वकील प्रतिवादी को जवाब हेतु अंतिम अवसर पूर्व में दिया जा चुका है किन्तु सुनवाई पर जवाब आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। जवाब दिनांक 16-4-19 को पेश हो।
16-4-19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि वादी फौत हो चुका है। वकील वादी प्रार्थना पत्र O22 R3 प्रस्तुत करेंगे। वकील प्रतिवादी वापस का जवाब प्रस्तुत करें। 16-5-19 को पेश हो।
16-5-19	अभिभाषक उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र O22 R3 CPC प्रस्तुत किया। साथ ही जाहिर किया कि वादी कोर्ट के वारिसान पूर्व से पक्षकार हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वकील प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। नकल वकील वादी को दिलवाई गई। वकील वादी ने time/तारीख प्रदान करने की मांग की। दिनांक 23-5-19 को पेश हो।

...ख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-5-19	अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली वाके रखा गया। तनकीह 18 6/19 को पेश हो।	
8 6/19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 2-7-19 को वास्ते तनकीह पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
-7-19	अभिभाषक उभयपक्ष [illegible] प्रस्तुत करने हेतु समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते [illegible] तनकीह दिनांक 13-8-19 को पेश हो।	
3.8.19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में तनकीयात कायम की गई जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते शहादतवादी हेतु दिनांक 27.8.19 को पेश हो।	
27.8.19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप. शा. वादी में PW-1 हरसु S/o मारूड़ा, PW-2 सुन्दर S/o मारूड़ा के बयान कराये गये। जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते शहादत दिनांक 17.9.19 को पेश हो।	
17.9/19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 22.10.19 को वास्ते शा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	
22.10.19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अभिभाषक उप. वकिल वादी ओर गवाह पेश करना चाहते है जो गैर हाजिर है। पत्रावली वास्ते शा. प्रतिवादी दिनांक 15.11.19 को पेश हो
15 11/19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक ... उपस्थित श्रीमान् P.O. ... दिनांक 10.12.19 को वास्ते शा. वादी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
10 12/19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप. शा. वादी मे आज कोई गवाह हाजिर नहीं है। गवाह पेश करने हेतु अवसर चाहते है। पत्रावली वास्ते शा. वादी दिनांक 17.12.19 को पेश हो।
17 12/19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप. साक्ष्यवादी मे PW-3 भंवरलाल कंजर एवं PW-4 भगवान लाल कंजर के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली है। वकीलवादी साक्ष्यवादी मे और कोई गवाह पेश नहीं कराने चाहते है। अतः साक्ष्यवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 14.1.20 को पेश हो।
14 1/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/... उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 4.2.20 को वास्ते शा. प्राती पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
4 2/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप। साक्ष्य प्रतिवादी मे गवाह पेश करने हेतु अवसर चाहते है। पत्रावली वास्ते शा. प्रतिवादी दि. 19.2.20 को पेश हो।

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि. 20.2.20 को पेश हो।	गिरधर
20/2/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि. 5.3.20 को पेश हो।	गिरधर
5/3/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित। DW-1 में घनश्याम पाराशर एवं DW-2 में नारायण सनाढ्य के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी वकील और गवाह पेश नहीं कराना चाहते हैं अतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दि. 19.3.20 को पेश हो।	
19/3/20	पत्रावली पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के सर्कुलर दि. 18-3-20 की पालना में कोर्ट कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली वास्ते बहस दि. 9.4.20 को पेश हो।	
9.4/20	कोरोना [illegible] क्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने व [illegible] राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन [illegible] न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली [illegible] बहस दिनांक 26.5.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	

	हुक्म
26/5/20	कोरोना [illegible] के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने व [illegible] अजमेर से प्राप्त [illegible] कार्य स्थगित [illegible] बहस दिनांक 10.6.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]
10/6/20	कोरोना [illegible] के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने व [illegible] अजमेर से प्राप्त [illegible] कार्य स्थगित [illegible] बहस दिनांक 7.7.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]
7/7/20	कोरोना [illegible] लॉकडाउन होने व [illegible] बहस 28.7.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]
28/7/20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18.08.2020 को पेश हो।
18/8/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 3.9.20 को वास्ते बहस पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
3/9/20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दि. 24.9.20 को पेश हो।
24/9/20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्टे बहस दि. 22.10.20 को पेश हो।
22/10/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दि. 3.11.20 को पेश हो।

अदालत __________ मुकाम __________

__________ बनाम __________

मुकदमा __________ नं. __________ वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जारी
3/11/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी चुनाव में व्यस्त उपस्थित श्रीमान् P.O. का कोर्ट पर है। प्रत्रावली दिनांक 1.12.20 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
1/12/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी चुनाव में व्यस्त उपस्थित श्रीमान् P.O. का कोर्ट पर है। प्रत्रावली दिनांक 29.12.20 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
29/12/20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दि. 4.2.21 को पेश हो।	
4/2/21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दि. 17.3.21 को पेश हो।	
17/3/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. का दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 28.4.21 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
28/4/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक कोरोना काल वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. का दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 9.6.21 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

हुक्म	
9/6/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14.7.21 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
14/7/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 25.8.21 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
25/8/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय बहस दिनांक 28.9.21 को पेश हो।
16/11/21	प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में पक्षकार वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर पक्षकारों में सहमति नहीं बनने से राजीनामा नही हो सका। पत्रावली दि. 22.12.21 को वास्ते बहस पेश हुई। (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)
22/12/21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 05.01.22 को पेश हो।
5/1/22	पत्रावली पेश हुइ। अभि... वादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 20.1.22 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
20.01.22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 24.3.22 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली ... बहस पेश हो।

(नियम 26)

ज अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

______ नं. ______ वर्ष

केस्म मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म के में जा
28.08.22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 18.08.22 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
18.08.22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15.09.22 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
15.09.22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 06/10/22 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
6/10/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई ~~। अ~~ अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते बहस दि. 20.10.22 को पेश हो।	
20/10/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 9/11/22 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
9.11.2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप० पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 30/11/2022 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	
30/11/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रा. दी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 8.12.22 को वास्ते निर्णय/बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
8/12/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2.2.23 को वास्ते निर्णय/बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
2/2/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आगामी दिनांक 13/4/23 को वास्ते निर्णय/बहस पेश हो।
13/4/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 20/4/23 को वास्ते निर्णय/बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
20/4/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस दिनांक 11/5/23 को पेश हो।
11/5/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 28/6/23 को वास्त निर्णय/पेशी हो। उप खण्ड अधिकारी
28/06/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 26/07/23 को पेश हो।

247

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहका हुक्म व में ज

24/7/23 पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 6/9/23 को वास्ते निर्णय पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

6/9/2023 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 4/10/23 को वास्ते निर्णय पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

4/10/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 11/10/23 को पेश हो।

11/10/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 18/10/23 को पेश हो।

18/10/23 पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 12/12/23 को वास्ते A.O.S. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

12/12/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 3/1/24 को वास्ते निर्णय पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक.......को वास्ते पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2/1/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। [illegible] 2/1/24 उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 61/2014 — दायर तारीख 04.12.2014

21/2018 — 05.04.2018

अनवान

01. धन्नी बेवा मारूडा (मृतक)
    1.1 रामधनी पुत्री मारूडा जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
    1.2 जनान पुत्री मारूडा जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
    1.3 सुन्दर पुत्री मारूडा जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
  1.4 कमली पुत्री मारूडा (मृतक)
    1.1 महेन्द्र पिता मांगीलाल जाति कंजर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
    1.2 राकेश पिता मांगीलाल जाति कंजर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
    1.3 चम्पा पुत्री मांगीलाल पत्नि हरकुश जाति कंजर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
    1.4 संगीता पुत्री मांगीलाल पत्नि हरिओम जाति कंजर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

05. हरमु पुत्री मारूडा जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. भंवर पिता सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. बबलु पिता सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेषा काष्त निवासी चिताबडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
08. लीला पुत्री सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. मंजु पुत्री सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. रामकन्या पुत्री सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. विमला पुत्री सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. सजना पत्नि सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..................वादीगण

बनाम

1. शम्भुलाल पिता भूरालाल जाति मेहर उम्र बालिग निवासी बेगू तहसील बेगू जिला चित्तोडगढ
2. भैरूलाल पिता रामेश्वर जाति कंजर उम्र बालिग निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. संतोष पिता रामेष्वर जाति कंजर उम्र बालिग निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. घनष्याम पिता गोपाल जाति पाराषर उम्र बालिग निवासी तिलस्वॉं तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
5. गिरधर पिता गोपाल जाति पाराषर उम्र बालिग निवासी तिलस्वॉं तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री घनष्याम धाकड – अधिवक्ता वादी
2. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 02 पर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 02/01/2024

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जोलास प0ह0 चांद जी की खेडी तहसील बिजौलिया की शरहद में आ0 न0 500/464 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजियत पर वादीगण का कब्जा होकर वादीगण उक्त आराजियत में अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजियत आ0 न0 500/464 रकबा 4 बीघा पूर्व में वादीया संख्या 1 धन्नी के पति मारूडा तथा वादी संख्या 2 से लगायत 6 एंव 7 से लगायत 12 के दादा मारूडा तथा प्रतिवादी संख्या 13 के दादी ससुर मारूडा के नाम दर्ज थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 मारूडा की लडकिया है 7 से 12 मारूडा के पोत्र है । प्रतिवादी संख्या 13 सीता की पत्नि होकर मारूडा की पुत्रवधु होने से उक्त जायदाद के वादीगण वारिसान है तथा उक्त जायादाद के वादीगण की पुश्तेनी जायदाद है उक्त कृषि आराजियत पूर्व में प्रतिवादीगण के पिता मारूडा के खातेदारी आधिपत्य में दर्ज रेकार्ड थी तथा मारूडा की मृत्यु के पश्चात् राजस्व अधिकारियों के द्वारा बिना मारूडा के पारिवारिक सजरा की जानकारी किये वादग्रस्त आराजियत का नाम अकेले सीता के नाम खोल दिया।

उक्त कृषि आराजियत जो पूर्व में वादीया संख्या 1 के पति मारूडा के खातेदारी स्वामित्व एंव आधिपत्य में दर्ज रेकार्ड थी। मारूडा के 5 लडकिया और 1 लडका सीता हुआ जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा सीता के 2 लडके भंवर व बबलू और 4 लडकिया लीला, मंजू, रामकन्या, विमला एंव पत्नि सजना वारिसान है। उक्त कृषि आराजियत मारूडा के खातेदारी आधिपत्य में दर्ज होने से पुश्तेनी जायदाद है। मारूडा की मृत्यु के पश्चात राजस्व अधिकारियों के द्वारा बिना मारूडा के पारिवारिक सजरा की जानकारी किये वादग्रस्त आराजियत का नामान्तरण अकेले सीता के नाम दर्ज कर दिया जबकि वादग्रस्त आराजियत में वादीगण भी खातेदारी प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। उक्त वर्णित कृषि आराजियत मारूडा के हक में होने से तथा वादी संख्या 2 से लगायत 6 मारूडा की पुत्रिया होने से व वादी संख्या 1 मारूडा की पत्नि होने से प्रथम श्रेणी के वारीसान है तथा मारूडा का एक लडका सीता जो फोत हो चुका है वादी संख्या 7 से लगायत 12 सीता के पुत्र व पुत्रिया होने से उक्त जायदाद के वारिसान है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त जायदाद पुश्तेनी होने से वादीगण का जन्म से ही वादग्रस्त जायदाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। इसलिये वादिगण वादग्रस्त आराजियत में खातेदारी प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। उक्तवर्णित कृषि आराजियत में वादी संख्या 1 से लगायत 6 तक वादग्रस्त आराजियत में 1/2 हिस्से के हकदार है तथा शेष वादीगण जो सीता के पुत्र एंव पुत्रिया है जो सीता के हक हिस्से में अपना अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है जिसमें सीता 1/2 हक हिस्से का खातेदार था। उसमें से सीता का 1/8 हक हिस्सा ही निहित था जो वादीगण संख्या 7 से लगायत 13 अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त आराजियात का सीता कागजी खातेदार हो गया था इसका नाजायज फायदा उठाकर सीता ने उक्त जायदाद को चुपके से प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान कर दिया था तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 1 ने भी उक्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 को बेचान कर दी सीता द्वारा किया गया बेचाननामा प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है क्योंकि सीता अकेला सम्पूर्ण आराजियात का मालिक नही था सीता मात्र अपने हक हिस्से तक ही जमीन को बेच सकता था परन्तु मात्र कागजी खातेदार होने का फायदा उठाकर सीता ने जमीन को बेच दिया था जो प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी था। उक्त वादग्रस्त आराजियात वादीगण की पुश्तेनी कृषि आराजियात है। तथा वादीगण मारुडा के वारिसान होकर वादग्रस्त आराजियात भी वादीगण की पुश्तेनी आराजियात है इसलिए वादग्रस्त आराजियात की वादीगण को अपने अपने हक के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवष्यक एवं न्याय संगत हैं। उक्त वादग्रस्त आराजियत पर प्रतिवादीगणों का कभी कब्जा नही रहा है पहले उक्त आराजियत पर मारूडा का कब्जा था उसके बाद सीता का कब्जा रहा था तथा बाद में वादीगण का अपने अपने हक हिस्सेनुसार मोके पर कब्जा चला आ रहा है। तथा वादीगण शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु अब प्रतिवादीगण जबरन वादीगण को अपने अपने हक हिस्से से बेदखल करना चाहते है इसलिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जाये कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, रोक टोक नहीं करे तथा जबरन उनके हिस्से से बेदखल नहीं करे। इस आषय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवष्यक एंव न्याय संगत है। उक्त प्रतिवादीगण मोके पर आकर कब्जा छुडाने की धमकियां दे रहे है तथा 3–4 बार मोके पर आ गये तथा अन्तिम बार दिनांक 10.10.2014 को मोके पर आये तथा वादीगण को कब्जा छोडने की धमकिया दी इसलिये वाद कारण दिनांक 10.10.2014 से उत्पन्न होकर सतत रूप से जारी है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

वादीगण ने अनुतोष चाहा कि :–

(अ) कि ग्राम जोलास प0ह0 चांद जी की खेडी तहसील बिजौलिया की शरहद में आ0 न0 500/464 रकबा 4 बीघा भूमि में वादिया संख्या 1 से लगायत 6 को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा वादिगण संख्या 7 से लगायत 12 को सीता के हिस्से का अलग से खातेदार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाये।

(ब) कि वादग्रस्त आराजियत में प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से में दखलन्दाजी नही करे, रोक टोक नहीं करे तथा उनके कृषि कार्य में बाध उत्पन्न नही करे। वादीगण के हक हिस्से से वादीगण को बेदखल नही करने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे।

(स) कि हर्जा खर्चा मेहनताना वकील वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 भैरूलाल, संतोष पिता रामेश्वर कंजर निवासी चिताबड़ा की ओर से यह जवाब दावा पत्र पेष हुआ कि वादपत्र की चरण संख्या 1 पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। आराजी संख्या 500/464 ग्राम जोलास रकबा 4 बीघा वर्तमान में नही है। अतः आराजियत के नये नम्बरान 508/464 रकबा 2 बीघा भूमि लघु औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज हो चुकी है। एवं बकाया 2 बीघा भूमि जिसका नम्बर 500/464 है जो शंभू लाल पिता भूरालाल मेहर निवासी बेंगू से जरिये पंजीकृत दंस्तावेज प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने खरीद की गयी एवं कब्जा प्राप्त किया गया एवं राजस्व रिकार्ड में भी अंकन हो चुका है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक जवाब के साथ संलग्न है। जो प्रमाणित किये जाने हेतु सक्षम है कि वादीगणो द्वारा वादपत्र की कलम संख्या 1 में उल्लेखित तथ्य बिल्कुल गलत है। उक्त आराजी संख्या 500/464 ग्राम जोलास रकबा 2 बीघा पर प्रतिवादीगण संख्या 2 और 3 का कब्जा काष्त है। वादपत्र की चरण संख्या 2 पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगणो द्वारा उक्त आराजियत शंभू लाल पिता भूरालाल मेहर निवासी बेंगू जो कि राजस्व खातेदार था जिससे बिल एवज प्रतिफल राषि अदा कर कय की गई एंव कय दिनांक से प्रतिवादीगण उक्त आराजियत पर बहैसियत खातेदार काबिज है। अन्य तथ्यो की जानकारी के अभाव में जवाब की आवष्यकता नही है। वादपत्र की चरण संख्या 3 पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। जानकारी के अभाव में जवाब की आवश्यकता नही है। सजरा के बाबत कोई जानकारी प्रतिवादीगणो को नही है। वादपत्र की चरण संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। मारूडा का कोई संबन्ध प्रतिवादीगणो से नही है। वादपत्र की चरण संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र की चरण संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। उक्त आराजियत के बाबत पूर्व जानकारी नही होने से जवाब की कोई आावश्यकता नही है। वादपत्र की चरण संख्या 7 बिलकुल गलत दर्ज किये जाने से अस्वीकार है। जिस प्रकार वादीगणो द्वारा अपना हिस्सा दर्षा रखा है इन्हे स्वयं ही जानकारी नही है। ऐसा बंटवाडा कैसे हो सकता है। वादपत्र की चरण संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगणो का उससे कोई लेना देना नही है। वादपत्र की चरण संख्या 8 पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। अगर ऐसा होता तो प्रथम बार में ही आपत्ति उठाई जा सकती थी। वादपत्र की चरण संख्या 9 पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। वादपत्र की चरण संख्या 10 पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार आ0 न0 500/464 मात्र 2 बीघा की रह गई है जो प्रतिवादीगण संख्या 2 एवं 3 के कब्जे काश्त में है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगणों के कब्जे को वादीगण कैसे समाप्त कर सकते है वर्तमान राजस्व खातेदार के खिलाफ स्ट्रेन्जर अस्थायी निषेधाज्ञा या निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है। बिना विधिक रूप से प्रतिवादीगण संख्या 2 एवं 3 के पक्ष में श्री शंभू लाल पिता भूरालाल मेहर निवासी बेंगू द्वारा किये गये विकय को एक सक्षम सिविल न्यायलय से शून्य घोषित करवाये बिना प्रतिवादीगणो के कब्जे काष्त में कोई बाधा वादीगण उत्पन्न करने के अधिकारी नही है। इसी प्रकार शंभू लाल के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र को भी सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित करवाये बिना वादपत्र चलने योग्य नही है। वादपत्र की चरण संख्या 11 गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। वादीगण द्वारा कपोल कथित तथ्य केवल मात्र वादपत्र एंव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंकित किये गये है। वादपत्र की चरण संख्या 12 में अंकन कि उक्त आराजियत न्यायालय श्री मान के क्षेत्राधिकार में है परन्तु आ0सं0 608/464 रकबा 4 बीघा राजस्व आराजियत राजस्व रेकार्ड में नही रही ऐसी सूरत में वादपत्र काबिल समायत न्यायालय कैसे हो सकता है। औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन आराजियत हेतु सिविल न्यायालय ही वाद सुन सकता है । न कि राजस्व न्यायालय। वादपत्र की चरण संख्या 13 पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। यदि वादपत्र चलने योग्य ही नही है तो वादपत्र अन्दर अवधि कैसे हो सकता है। वादपत्र की चरण संख्या 14 गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। विषेष विवरण अपना कथन में किये जायेंगें। वादीगणों द्वारा अपने वादपत्र का सत्यापन भी गलत दर्ज किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

विषेष कथन

प्रतिवादीगणों द्वारा आ0 सं0 500/464 के राजस्व खाते की जमाबन्दी की नकल संवत् 2070 से 2073 की प्रस्तुत की जा रही है। उससे स्पष्ट प्रमाणित है कि आ0 सं0 500/464 का रकबा वर्तमान 4 बीघा नही है। आ0 सं0 500/464 का रकबा वर्तमान 2 बीघा होकर प्रतिवादीगण संख्या 2–3 द्वारा राजस्व खातेदार श्री शंभु लाल पिता भूरालाल जी मेहर निवासी बेंगू से बिल एवज प्रतिफल धनराषि देकर कय की गयी एंव उक्त कय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 522 दिनाक 10.11.2014 ई0 को प्रतिवादीगणो के नाम खोला गया है। प्रतिवादी उक्त आराजियत के राजस्व खातेदार होकर काबिज है। प्रतिवादीगणो द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज व्यक्तियो से उक्त आराजियत प्रतिफल धनराषि अदा कर पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगणो का नाम दर्ज हुआ है एंव वे ही कब्जे काष्त है। ऐसी सूरत में बिना पंजीकृत विलेख को शून्य प्रभावी घोषित कराये बिना वादीगणो को यह वादपत्र लाने का अधिकार नही है। आ0सं0 500/464 में से आ0सं0 608/464 रकबा 2 बीघा भूमि नामान्तरण संख्या 519 दिनांक 15.10.2014 के लघु औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजियत राजस्व की नही रही ऐसी सूरत में वादपत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हो जाता है न कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार की। ऐसी सूरत में वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में चलने योग्य ही नही है एवं सक्षम न्यायालय में प्रस्तुती हेतु वादीगणो को वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र लौटाया जाये। प्रतिवादीगणो द्वारा उक्त आराजियत राजस्व खातेदार से कय की गई है एवं उक्त आराजियत वर्षो पूर्व किसकी थी जिसकी जानकारी प्रतिवादीगणो को नही है। प्रतिवादीगण खातेदार राजस्व से कय करने वाले बोनाफाइड परचेजर है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगणो के खिलाफ वाद चलाने योग्य नही है। सितम्बर 2005 के संषोधन अनुसार व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार वाद चलने योग्य नही है। वादीगणो का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादीगणो को विशिष्ठ हर्जा खर्चा वादीगणो से दिलाया जाये।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी ग्राम जौलास की संवत् 2033 से 2036 पेश की जो EX-1 हैं, नकल जमाबन्दी ग्राम जौलास की संवत् 2062 से 2065 पेश की जो EX-2 हैं, नकल जमाबन्दी ग्राम जौलास की संवत् 2066 से 2069 पेश की जो EX-3 हैं, नकल जमाबन्दी ग्राम जौलास की संवत् 2070 से 2073 पेश की जो EX-4 हैं, नकल नामान्तकरण ग्राम जौलास पेश की जो EX-5 हैं, रजिस्ट्री नकल विक्रय इकरार, रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति पेश की।

वादपत्र व जवाबदावा के तथ्यो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई ।

<u>तनकी नं0 1</u> – आया विवादित आराजियात ख0सं0 500/464 रकबा 4 बीघा भूमि वादीगण की पुश्तेनी आराजियत होकर वादी संख्या 1 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 7 लगायत 13 का 1/8 हिस्सा निहित है उक्त हिस्से अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य है ?

.... जिम्मे वादीगण

<u>तनकी नं0 2</u> – आया वादग्रस्त आराजियत में वादीगण का हक हिस्सा निहित होने से वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

...........जिम्मे वादीगण

<u>तनकी नं0 3</u> – आया वादग्रस्त आराजियत का सीता कागजी खातेदार था। जिसका अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 को विकय कर दिया प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 को विकय कर दिया जो प्रारम्भ से ही शुन्य प्रभावी है ?

........जिम्मे वादीगण

<u>तनकी नं0 4</u> – आया वादग्रस्त आ0 सं0 500/464 का रकबा कम होकर 2 बीघा भूमि है जिसको प्रतिवादी सं0 1 से प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने कय की है जो सदभावी केता है। विकय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वादपत्र चलाने योग्य नही है ?

........जिम्मे प्रतिवादीगण

<u>तनकी नं0 5</u> – आया वादग्रस्त आ0 सं0 500/464 में से आ0सं0 608/464 रकबा 2 बीघा भूमि लघु औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हो जाने से उक्त आराजियत राजस्व भूमि नही होने से सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार होने से वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है

........जिम्मे प्रतिवादीगण

<u>तनकी नं0 6</u> – आया वादग्रस्त आराजियत का संपरिवर्तन वादपत्र पेष करने से पूर्व हो चुका है कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन हो चुकी है। किस्म परिवर्तन को निरस्त करवाये बिना वादपत्र खारिज योग्य है ?

........जिम्मे प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 05 पर

तनकी नं0 7 – आया वादीगण ने बिना वादकारण उत्पन्न हुये वादपत्र पेष किया व वादपत्र मियाद बाहर पेष करने वादपत्र खारिज योग्य है ?

.........जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 8 – आया वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन होने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्री मान को नही होने से वादपत्र खारिज योग्य है ?

.........जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 9 – आया अनुतोष क्या होगा ?

शहादत वादी में वादी ने पीडब्ल्यू 1 हरमु पिता मारूडा जाति कंजर निवासी चिताबडा, पीडब्ल्यू 2 सुन्दर पिता मारूडा कंजर निवासी चिताबडा, पीडब्ल्यू 3 भंवरलाल पिता सीता कंजर निवासी चिताबडा पीडब्ल्यू 4 भगवानलाल पिता नाथू जाति कंजर निवासी चित्ताबडा साक्ष्य में प्रस्तुत कर बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

वादी द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी DW-1 घनष्याम पिता गोपाल जाति पारासर निवासी तिलस्वॉ , DW-2 नारायण पिता चतुर्भुज जाति ब्राह्मण निवासी बिजौलियां के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की मौजा ग्राम जोलास प0ह0 चांद जी की खेडी तहसील बिजौलिया की सरहद में आ0 न0 500/464 रकबा 4 बीघा भूमि में वादिया संख्या 1 से लगायत 6 को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाने हेतु निवेदन किया तथा विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करें कृषि कार्य में रोक टोक बाधा उत्पन्न न स्वयं करे न अन्य किसी से नोकर एजेन्ट से करवाये इस आषय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें।

बहस के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवादीगणों द्वारा आ0 सं0 500/464 के राजस्व खाते की जमाबन्दी की नकल संवत् 2070 से 2073 की प्रस्तुत की जा रही है। उससे स्पष्ट प्रमाणित है कि आ0 सं0 500/464 का रकबा वर्तमान 4 बीघा नही है। आ0 सं0 500/464 का रकबा वर्तमान 2 बीघा होकर प्रतिवादीगण संख्या 2–3 द्वारा राजस्व खातेदार श्री शंभु लाल पिता भूरालाल जी मेहर निवासी बेंगू से बिल एवज प्रतिफल धनराषि देकर कय की गयी एंव उक्त कय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 522 दिनांक 10.11.2014 ई0 को प्रतिवादीगणो के नाम खोला गया है। प्रतिवादी उक्त आराजियत के राजस्व खातेदार होकर काबिज है। प्रतिवादीगणो द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज व्यक्तियो से उक्त आराजियत प्रतिफल धनराषि अदा कर पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगणो का नाम दर्ज हुआ है एंव वे ही कब्जे काश्त है। ऐसी सूरत में बिना पंजीकृत विलेख को शुन्य प्रभावी घोषित कराये बिना वादीगणो को यह वादपत्र लाने का अधिकार नही है। आ0सं0 500/464 में से आ0सं0 608/464 रकबा 2 बीघा भूमि नामान्तरण संख्या 519 दिनांक 15.10.2014 के लघु औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजियत राजस्व की नही रही ऐसी सूरत में वादपत्र सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हो जाता है न कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार की। ऐसी सूरत में वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र न्यायलय हाजा में चलने योग्य ही नही है एवं सक्षम न्यायालय में प्रस्तुती हेतु वादीगणो को वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र लौटाया जाये। प्रतिवादीगणो द्वारा उक्त आराजियत राजस्व खातेदार से कय की गई है एवं उक्त आराजियत वर्षो पूर्व किसकी थी जिसकी जानकारी प्रतिवादीगणो को नही है। प्रतिवादीगण खातेदार राजस्व से कय करने वाले बोनाफाइड परचेजर है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगणो के खिलाफ वाद चलाने योग्य नही है। सितम्बर 2005 के संषोधन अनुसार व माननीय उच्च न्यायलय के निर्णय अनुसार वाद चलने योग्य नही है। वादीगणो का वाद सव्यय खारीज फरमाने हेतु निवेदन किया।

वादपत्र एवं जवाब दावे के विवेचन से वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः वादपत्र वादीगण अर्न्तगत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** खारिज किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक **02/01/2024** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 61/2014 — दायर तारीख 04.12.2014

21/2018 — 05.04.2018

अनवान

01. धन्नी बेवा मारूडा (मृतक)
    - 1.1 रामधनी पुत्री मारूडा जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
    - 1.2 जनान पुत्री मारूडा जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
    - 1.3 सुन्दर पुत्री मारूडा जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
    - 1.4 कमली पुत्री मारूडा (मृतक)
        - 1.1 महेन्द्र पिता मांगीलाल जाति कंजर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
        - 1.2 राकेश पिता मांगीलाल जाति कंजर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
        - 1.3 चम्पा पुत्री मांगीलाल पत्नि हरकुश जाति कंजर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
        - 1.4 संगीता पुत्री मांगीलाल पत्नि हरिओम जाति कंजर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

05. हरमु पुत्री मारूडा जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. भंवर पिता सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. बबलु पिता सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेषा काष्त निवासी चिताबडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
08. लीला पुत्री सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. मंजु पुत्री सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. रामकन्या पुत्री सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. विमला पुत्री सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
12. सजना पत्नि सीता जाति कंजर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..................डिक्रीदार

बनाम

1. शम्भुलाल पिता भूरालाल जाति मेहर उम्र बालिग निवासी बेगू तहसील बेगू जिला चित्तोडगढ
2. भैरूलाल पिता रामेश्वर जाति कंजर उम्र बालिग निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. संतोष पिता रामेश्वर जाति कंजर उम्र बालिग निवासी चिताबडा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. घनष्याम पिता गोपाल जाति पाराशर उम्र बालिग निवासी तिलस्वॉ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
5. गिरधर पिता गोपाल जाति पाराषर उम्र बालिग निवासी तिलस्वॉ तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियाजिला भीलवाडा (राज0)

.... मदयूनान

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 02 पर

पत्र अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :— 02/01/2024
डिक्री दिनांक :— 02/01/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियॉ बहाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री घनश्याम धाकड़ व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड को हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** खारिज किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नीज ....**Nil**...............................मुबलिग .... **Nil** ....बाबत् .... **Nil** .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... **Nil** ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... **Nil** ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 01 वर्ष 2024 को जारी किया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा